न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा0पत्र / 29 / 2022

एक्सिस बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस त्रिशुल, त्रिशुल समथेश्वर मन्दिर के पीछे इलीश ब्रीज, अहमदाबाद तथा कॉरपोरेट आफिस एक्सिस हाउस बोम्बे डाइंग मिल्स कमपाउण्ड, पान्डुरंग बुद्वकर मार्ग वर्ली मुम्बई– 400025, ब्रांच ऑफिस जी– 9, महिमा ट्रिनटी मॉल श्वेज फार्म जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी पुनीत माथुर

....प्रार्थी / प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

चन्द्रपाल सिंह पुत्र खुवीराम, निवासी मकान नं. 86 बिजवारी मंन्दिर के पास तहसील वैर जिला भरतपुर –321407
अन्य पता– भट्टा नं. 1325 खसरा नं. 4000–3996 शांति कालोनी नदबई भरतपुर

......अप्रार्थी. / ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत ऋणी / जमानती से कब्जा दिलाये जाने हेतु।

आदेश दिनांक 2.08.2023

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी. धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम,2002 के अन्तर्गत ऋणी / जमानती से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ऋणी ने दिनांक 27.7.2017 को प्रार्थी से 1090000 / –रुपये की ऋण सुविधा स्वीकृत कराई थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने आवासीय सम्पत्ति पट्टा न. 1325 खसरा नं. 4000–3996 शांति कानोनी नदबई स्थित है को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निस्पादित किया था।

अप्रार्थीगण ऋणीयों के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि समय अवधि में जमा

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

नही कराई गई जिसके कारण अप्रार्थीगण / ऋणीयों के खाता को दिनांक 01–06–2021 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 30–9–2021 तक 1326854 / –रुपये व ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थीगण / ऋणी पर वकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थीगण / ऋणी के द्वारा जमा नही कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. दिनांक 5.10. 2021 अप्रार्थीगण / ऋणी को वकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त वकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवश के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि को अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नही की गई हैं अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय वन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी बैंक अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे और वन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेते समय बैंक को पुलिस की सहायता भी उपलब्ध कराई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 / ऋणी ने उपर्युक्त आवासीय सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व वंधक विलेख निस्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण / ऋणी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया। तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी / अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नही की गई हैं । बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण / ऋणीयों के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पति का कब्जा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। अस्तु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण / ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय आवासीय सम्पत्ति अप्रार्थी0 ने आवासीय सम्पत्ति पट्टा न. 1325 खसरा नं. 4000–3996 शांति कानोनी नदबई स्थित है को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निस्पादित किया था का भैातिक कब्जा लेने हेतु

...........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रा0पत्र / 29 / 2022
एक्सिस बैंक लि0 बनाम चन्द्रपालसिंह

प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधी अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकता अनुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)